

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कागगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, मधेपुरा क ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 02 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को 30,000/- (तीस हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 60,000/- (साठ हजार रुपए) एवं 01 श्रमिक के दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को 1,00,000/- (एक लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विगुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उग्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/आधार नंबर	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं गोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ. एरा.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० युगेश्वर प्र० यादव, 50, धोधन यादव, पिछड़ा जाति	कुमारी नीलग (पत्नी)	721 10.08.2026 एवं 122 03.03.2026	ग्राम नौलखिया वार्ड 01, पो०। थाना गधेपुरा, जिला-मधेपुरा 7061688524	4042320 3220	SBI SBIN00 10339	रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु (साप काटने के कारण) कृषि श्रमिक
2	स्व० गजेन्द्र गेहता, 52, बिन्देश्वरी गेहता, पिछड़ा जाति	अमला देवी (पत्नी)	721 10.08.2026 एवं 123 03.03.2020	ग्राम-कमलपुर वार्ड-03, पो० श्रीनगर, थाना। प्र० धेलाढ, जिला गधेपुरा 9457214165	1742001 7000757 72	PNB PUNBO 174200	रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजगिरि का हेलर
3	स्व० अगगलाल यादव, 55, स्व० अंतु यादव, पिछड़ा जाति	पार्वती देवी (पत्नी)	721 10.08.2026 एवं 330 11.10.2019	ग्राम गानिकपुर गरुवाहा, वार्ड 06, पो० गरुही बाजार, थाना गधेपुरा, जिला गधेपुरा 9006100935	3579583 1940	SBI SBIN00 08400	रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक

कुल :- 1,60,000/-

(एक लाख साठ हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कागगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं०-8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं०-3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुगोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

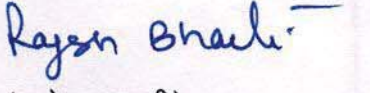
ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-63/2019-11०5

पटना, दिनांक :- ११/०९/२०२६

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित पुत्र/पुत्री को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 09 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन

एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, मधेपुरा/उप श्रमायुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


18/08/2024
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक